न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
022/2019 (GCMS 2019/00102)	08.07.2019	29.01.2021

अनवान

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

मुकेश भट्ट पिता मनोहरलाल भट्ट मैसर्स एम.आर. सेल्स बाजार नंबर 2 रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ निवासी बाजार नंबर 1, हनुमान गली, रावतभाटा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़

अप्रार्थी

–:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::–

–:: निर्णय ::–

प्रकरण संख्या का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र सिंह राणावत द्वारा दिनांक 29.10.2018 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संपादन कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक **FH/PFA/Notification/2011/440 Dated 25-07-2011** के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक/एफएसएसए/2016/465 दिनांक 03.05.2016 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला चित्तौड़गढ़ आवंटित किया गया था। जिला चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 29.10.2018 को समय 2:20 पीएम मैसर्स एम.आर. सेल्स बाजार नंबर 2 रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ पर पहुंचा। वहां पर मुकेश भट्ट पिता मनोहरलाल भट्ट उक्त फर्म में विक्रेता/मालिक की हैसियत से खाद्य पदार्थ नमकीन (जीतु ब्रांड) व अन्य किराणा सामान आम जनता को विक्रय हेतु कर रहे थे, एवं विक्रय हेतु अपने कब्जे में रखे हुए थे। मौके पर गवाहान श्री महेंद्रसिंह व नरेन्द्र कुमार जैन की उपस्थिति में मैंने अपना परिचय पत्र विक्रेता को दिखाकर परिचय दिया, एवं विक्रेता से परिचय लिया, तत्पश्चात विक्रेता व गवाहन की उपस्थिति में उक्त फर्म का निरीक्षण करने पर 500–500 ग्राम व 200–200 ग्राम के पोलीपैक नमकीन (जीतु ब्रांड) सील्ड अवस्था में बिक्री हेतु रखा पाया गया। उक्त में से सील्ड पोलीपैक नमकीन (जीतु ब्रांड) को ध्यान से देखने पर उस पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:30:52 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नमकीन (जीतु) लोट नंबर–निल, नेट वेट 500 ग्राम, एमआरपी 60/– रूपये, डेट ऑफ पेकेजिंग–निल, बेस्ट बिफोर 1 मंथ्स फ्रोम दे डेट ऑफ पेकेजिंग, मेन्युफेक्चरिंग बाय पारस नमकीन भण्डार वल्लभबारी कोटा, राजस्थान अंकित पाया गया। विक्रेता के पास उक्त नमकीन (जीतु ब्रांड) का खरीद बिल नहीं होना पाया गया। मिलावट की शंका होने पर उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना एसएएसएसए एक्ट, 2006 के तहत जांच हेतु लेने के लिए विक्रेता को अवगत कराया गया। तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नम्बर **V-A** की प्रति गवाहन की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देखकर प्राप्ति रसीद ली। जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त पदार्थ के चार सील्ड पॉलीपैक को वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को रुपयें 160/– नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता तथा मौके पर उपस्थित गवाहन के हस्ताक्षर करवाए एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किए, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खरीदाशुदा खाद्य पदार्थ को चार बराबर–बराबर भागों में बांटकर चार प्लास्टिक डिब्बों में अलग–अलग रखकर ढक्कन लगाकर अच्छी तरह एयरटाइट बंद किया। उक्त नमूना भागों हेतु 04 लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग में लेबल चिपकाए। लेबल पर खाद्य पदार्थ का नाम, स्थान व दिनांक आदि अंकित कर मैंने गवाहन व व्यापारी ने हस्ताक्षर किए थे। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागजों में लपेटकर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-975** नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोंद से चिपकाए एवं धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। एक सील नमूना भाग के सिरे पर एक पेंदे पर एवं दाई और एवं एक बाई और लगाई। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर पर दोनों पर आवें एवं सीलबंद नमूनों पर गवाहन के हस्ताक्षर कराकर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। विक्रेता को उक्त नमूना के एक भाग (चौथा भाग) को एक एक्रीएटेड लैब में जांच कराने की जानकारी मौके पर ही मेरे द्वारा दे दी गई थी। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर मालिक एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे विक्रेता एवं मौके पर उपस्थित गवाहान पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किए। जिस सील से नमूना चपडी किया गया, उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका पंचनामा पर अंकित किया गया। फर्द रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। नमूना लेने के पश्चात् शेष बची नमकीन(जीतु ब्रांड) को मेरे द्वारा नियमानुसार सील सीज कर व्यापारी श्री मुकेश भट्ट की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:30:52 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नमूना सील किया। एक नमूना भाग में फार्म नंबर 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर कर एवं 2 प्रति फार्म नंबर 6 की अलग से सिल्ड लिफाफे में पत्रवाहक के साथ खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को जमा करवाने हेतु भिजवाया। एक नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की प्रति एवं एक प्रति फार्म संख्या 6 की अलग से सील्ड लिफाफ में जमा की खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से अलग–अलग रसीद प्राप्त की गई जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो सीलबंद नमूना भाग मय फार्म नंबर 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सीलबंद कर नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्र क्रमांक/**FSSA/2018/4669** दिनांक 27.12.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मेरे द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना वास्ते जांच क्रय किया गया था जो कि मिसब्रांडेड होना पाया गया है। जांच रिपोर्ट न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। उक्त फर्मो का प्राप्त जांच रिपोर्ट की एक प्रति रजिस्टर्ड पत्र से प्रेषित की गई, जिसका फोवर्डिंग पत्र की मूल कार्यालय प्रति व मूल पोस्टल रसीदों के संलग्न है। उक्त फर्मों के संविधान के संबंध में मेरे द्वारा रजिस्टर्ड पत्र से जानकारी चाही गई जो कि मूल ही मय पोस्टल रसीदों के संलग्न है। मेरे द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज क्रमांक/**FSSA/2018/4669** दिनांक 27.12.2018 की पालना में श्रीमान अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को कराये गये जिस पर कार्यालय के पत्र क्रमांक/**FSSA/2019/2030** दिनांक 18.06.2019 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्याय निर्णयन आवेदन फाइल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ अलग है। उक्त प्रकरण में उक्त अभियुक्त ने मिस ब्राण्डेड नमकीन (जीतु ब्राण्ड) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा पदार्थ एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लंघन किया है जिसका खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है, अतः उपरोक्त आवेदन न्याय निर्णयन हेतु श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त अभियुक्तगणों पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सकें। साथ ही जब्तशुदा उक्त नमकीन (जीतु ब्रांड) के निस्तारण बाबत् भी आदेश प्रदान करावें।

इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर दिनांक 05.09.2019 को अप्रार्थी हाजिर आये एवं अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। अपने जवाब में अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से स्वीकार कर बताया कि मेरी फर्म से नमकीन जीतु ब्रांड वास्ते जांचसंख्या एएम 37 लिया गयाथ जो बाद जांच मिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:30:52 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ब्रांड होना पाया गया है। इस बाबत मेरा निवेदन है कि यहां नमकीन का निर्माता में नहीं हूँ में इस नमकीन को पैक नहीं करता हूँ मेरे पास इस नमकीन का बिल नहीं होने के कारण निर्माता का मुल्जिम नहीं बनायागया है अतः निवेदन है कि मेरी पहली गलती को माफ करते हुए कम से कम जुर्माना लगाया जावें। में आगे से हर प्रत्येक खाद्य पदार्थ का बिल लिया करूंगा यह गलती दुबारा नहीं होगी।

दिनांक 27.01.2021 को अप्रार्थी हाजिर आया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए कम से कम जुर्माना का निवेदन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर रिपोर्ट एवं मतानुसार अनुसार :–

ANALYSIS REPORT --

(1) Sample description. The sealed sample contained in a original company poly pack of 500g,

Ingredients. Dal Flour, Rice Flour, Pulses, Spices, Maida, Groundnut. Salt & Edible Veg. Reined oil The specific name of edible oil is Absent Contravention to Regulation 2.2.2(2)(b)(e) of Food Safety & Standards (Packaging and Labelling) Regulations 2011.

(ii) Physical appearance - Yellowish and mixed namkeen in appearance.

(iii) Label - Brand- Jeetu. Name of Artical- Namkeen, Mfg. by- Paras Namkeen Bhandar, VallabhBari, Kota (Raj.)(In completed Address) Pkd. on- Absent, Batch No.- Absent, Essai lic. No.- Absent, Best Before 1 Months From the date of Packaging. Contravention to Regulation 2.2.1(7).2.2.2(6), 2.2.2(8), 2.2.2(9) & 2.2.2(10) of Food Safety & Standards (Packaging and Labelling) Regulations 2011. Green symbol of veg.- Present, Nutrition Information-Given, Ingredients - Present

Opinion:- The sample of Namkeen (Jeetu) bearing code no. and serial no. AM-975 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O of District Chittorgarh is misbranded food. The sample is misbranded under section 3(1)(1)(C) of the Food Safety & Standards Act 2006.

खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ नमकीन (जीतु ब्रांड) का नमून खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा **3(1)(1)(C)** के तहत मिस ब्राण्ड का पाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थो के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्त्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्त्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है। यह सही है कि अप्रार्थी उक्त अवमानक खाद्य पदार्थ का निर्माता नहीं है। खाद्य पदार्थ का निर्माता पारस नमकीन भण्डार वल्लभबारी कोटा, राजस्थान है। निर्माता को नि[illegible]किंग के समय ही लेबल पर नियमानुसार सभी आवश्यक [illegible] चाहिये थी, किन्तु अप्रार्थी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:30:52 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भी यह दायित्व बनता है कि वह आयातित खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु प्रदर्शित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उक्त खाद्य पदार्थ पर नियमानुसार पूर्ति है। किन्तु इनके द्वारा इसकी जांच नही कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किया गया है। अतः उक्त प्रावधानों के तहत् अप्रार्थी को दोष मुक्त नही किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है एवं अप्रार्थी मुकेश भट्ट पिता मनोहरलाल भट्ट मैसर्स एम.आर. सेल्स बाजार नंबर 2 रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ निवासी बाजार नंबर 1, हनुमान गली, रावतभाटा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के तहत दोष सिद्ध अभिुक्त को अधिनियम की धारा 52 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान दिये गये है। अधिनियम की धारा 49 एवं 52 के अनुसार–

49. General provisions relating to penalty.
While adjudging the quantum of penalty under this Chapter, the Adjudicating Officer or the Tribunal, as the case may be, shall have due regard to the following:-
(a) The amount of gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the contravention,
(b) The Amount of loss caused or likely to cause to any person as a result of the contravention,
(c) The repetitive nature of the contravention,
(d) Whether the contravention is without his knowledge, and
(e) Any other relevant factor,

52. Penalty for misbranded food.
(1) Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption which is misbranded, shall be liable to a penalty which may extend to three lakh rupees.
(2) The Adjudicating Officer may issue a direction to the person found guilty of an offence under this section, for taking corrective action to rectify the mistake or such article of food shall be destroyed.

ऐसी स्थिति में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** में अभियुक्त की दोषसिद्धि घोषित किये जाने से अभियुक्त मुकेश भट्ट पिता मनोहरलाल भट्ट मैसर्स एम.आर. सेल्स बाजार नंबर 2 रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ निवासी बाजार नंबर 1, हनुमान गली, रावतभाटा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:30:52 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन करने से अभियुक्त श्री मुकेश भट्ट पिता मनोहरलाल भट्ट मैसर्स एम.आर. सेल्स बाजार नंबर 2 रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ निवासी बाजार नंबर 1, हनुमान गली, रावतभाटा तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ को 10000/– अक्षरे दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा माल का नियमानुसार निस्तारण किया जावें।

अभियुक्त उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते है कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत् शास्ति राशि भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **29.01.2021** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:30:52 IST
Reason: SelfAttested